IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महाकुंभ मे जल प्रदुषण की रोकथाम हेतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की भूमिका : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. सुमन सान्दड़ सहायक आचार्य – **विधि संकाय ऐश्वर्या कॉलेज ऑफ एज्युकेशन (लॉ) गेस्ट फीकलटी – जय नारायण व्यास, विश्वविद्यालय जोधपुर।**

सारांश – पर्यावरण संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रर्वतन एवं व्यक्तियों और सम्पति के नुकसान के लिये सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित मामलों तथा पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई, ट्रिब्यूनल तीव्र न्याव प्रदान करेगा। जिससे उच्च न्यायालयों मे मुकदमेंबाजी के भार को कम करने मे सहायता करेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण संबंधित मामलों मे अपने आप स्व–प्रेरणा से (SUO-MOTO) संज्ञान ले सकता है। केन्द्रिय प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड (CPCB) महाकुंभ शुरू होने के बाद से प्रयागराज मे पानी की गुणवता का आकलन कर रहा हैं। संगम जहां सबसे ज्यादा लोग स्नान करते है यहां सुबह और शाम का परीक्षण किया गया रिपोर्ट मे फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया ही नही अन्य मानकों पर भी स्नान क्षेत्र का पानी आचमन और स्नान करने योग्य नही पाया गया।

मूल शब्द– पर्यावरण, अधिकरण, प्रदुषण, प्राकृतिक संसाधन,

18 अक्टूबर 2010 को पर्यावरण संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रर्वतन एवं व्यक्तियों और सम्पति के नुकसान के लिये सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित मामलों तथा पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई, यह विशिष्ट निकाय पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिये आवश्यक विशेषज्ञता द्वारा सुसज्जित है तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित किया जायेगा। पर्यावरण संबंधी मामलों मे ट्रिब्यूनल तीव्र न्याय प्रदान करेगा जिससे उच्च न्यायालयों मे मुकदमेंबाजी के भार को कम करने मे सहायता प्रदान करेगा और साथ ही भोपाल, पुणे, कोलकात्ता तथा चैन्नई ट्रिब्यूनल की बैठकों के स्थान होगें।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सात कानूनों के तहत विभिन्न दीवानी मामलों का निपटारा करता है :–

01. जल अधिनियम (प्रदुषण की रोकथाम और नियंत्रण) 1974

02. जल उपकर अधिनियम (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) 1977

03. वन अधिनियम (संरक्षण) 1980

04. वायु अधिनियम (प्रदुषण की रोकथाम और नियंत्रण) 1981

05. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986

06. सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991

07. जैविक विविधता अधिनियम 2002

NGT आदेश की SC मे अपील की जा सकती है।

केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) जो वायु, जल और भूमि प्रदुषण की निगरानी और नियंत्रण के लिये जिम्मेदार है, महाकुंभ शुरू होने के बाद से प्रयागराज मे पानी की गुणवत्ता का आकलन कर रहा है। 3 फरवरी 2025 को (NGT) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपी गई रिपोर्ट मे कहा गया है कि 12–13 जनवरी 2025 को पानी की गुणवत्ता पीने के लिये तो दूर नहाने के लिये भी उपयुक्त नहीं थी, हालांकि रिपोर्ट मे मीठे पानी के प्रवेश के कारण कार्बनिक प्रदुषण मे कमी का भी उल्लेख किया गया है।

केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सीवरेज प्रदुषण के सूचक फीकल कोलीफॉर्म भी स्वीकार्य सीमा 2500 यूनिट प्रति 100 मिली है। 13 जनवरी 2025 को गंगा के दीहा घाट और नैनी ब्रिज के पास से लिये गये सैंपल मे 100 मिली पानी मे फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया 33,000 एमपीएन मिला।

श्रृंगवेपुर घाट के सैंपल मे 23,000 एमपीएन पाया गया। संगम जहां सबसे ज्यादा लोग स्थान करते है, यहां सुबह और शाम का परीक्षण किया गया। यह पाया गया कि जहां फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया 100 मिली पानी मे 13000 एमपीएन है रिपोर्ट मे फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया ही नही अन्य मानकों पर भी स्थान क्षेत्र का पानी आचमन और स्थान करने योग्य नहीं पाया गया।

जल गुणवता के अन्य मापदंडो जैसे जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD) और घुलित ऑक्सीजन (DO) के लिये भी उतार चढ़ाव देखे गये।

(BOD) जैव रासायनिक, ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो एरोबिक सूक्ष्म जीवों को जल निकाय मे कार्बनिक तत्व होने का संकेत देता है यदि नदी के पानी मे BOD का स्तर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है तो इसे स्नान के लिये उपयुक्त माना जाता है

दिनांक	जैव रासायनिक स्तर मिलीग्राम (प्रतिलीटर)
13 जनवरी 2025	3.94
14 जनवरी 2025	2.28
15 जनवरी 2025	1.00
24 जनवरी 2025	4.08
29 जनवरी 2025	3.26
16 फरवरी 2025	5.09
18 फरवरी 2025	4.06
19 फरवरी 2025	5.29

केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसाार इन श्रद्धालुओं को उस पानी की गुणवत्ता के बारे में सूचित किया जाना चाहिये था जिसमें वे डुबकी लगाने जा रहे थे हालांकि ऐसा नही किया गया था दिसंबर 2024 के अपने आदेश में NGT ने कहा था कि महाकुम्भ के दौरान प्रयागराज में गंगा जल की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिये और इसकी गुणवत्ता पीने आचमन और स्नान के लिये उपयुक्त होना चाहिये।

NGT ने उत्तरप्रदेश सरकार, प्रयागराज मेला प्राधिकरण और उत्तरप्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दायर याचिका में कहा गया कि लाखों लोग और परिवार पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में गंगा नदी के किनारे खुले में शौच करने को मजबूर है। यूपी सरकार कुम्भ मेला स्थल पर स्वच्छता सुविधाओं की खराब व्यवस्था के कारण बड़े पैमाने पर प्रदुषण को रोकने में विफल रही है। याचिका में कहा गया कि कुम्भ में स्थापित किए गये 1.5 लाख जैव–शौचालय भारी संख्या में जाने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नही है। पानी में मल तत्व की अधिवक्ता है जो इसे आचमन करने व पीने के लिये तो दूर स्नान के लिये भी अनुपयुक्त है। इस सभी के लिये उत्तप्रदेश सरकार जिम्मेदार है। सरकार को लोगों की आस्था का ध्यान रखते हुये पानी

की स्वच्छता का पर्याप्त ध्यान रखना चाहिये था जिसके लिये सरकार अपने कार्य पर खरी नहीं उतरी।

निष्कर्ष एवं सुझाव – नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्य महाकुंभ के प्रश्न पर उल्लेखनीय है क्योंकि महाकुंभ का आयोजन हिन्दु आस्था का आयोजन हैं महाकुंभ में श्रद्धालु न केवल स्नान करते हैं बल्कि आचमन भी करते हैं तथा वही पानी पीते भी है। अगर वह जल ही शुद्ध नहीं होगा तो यह श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के साथ अन्याय होगा। अतः इस तरह के जो भी आयोजन होते है उसके लिये आयोजन कर्ता को विशेष इंतजाम करने की आवश्यकता है। कयोंकि करोड़ों की संख्या में लोग ऐसे आयोजनों के सम्मिलित होते है। ऐसे आयोजन स्थानों पर शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये तथा ऐसे पुख्ता इन्तजाम होने चाहिये जिससे गन्दगी गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में न मिले और जल दुषित न हो। इसके साथ ही पवित्र स्नान में सम्मिलित लोगो से भी मेरी अपील है कि जब वे ऐसे पवित्र स्थानों पर स्नान हेतु जाये तो वहां गन्दगी न फैलाये। पुजा सामग्री पुराने नये वस्त्र, पुष्प इत्यादि पवित्र नदियों में प्रवाहित न करें क्योंकि इससे नदियाँ प्रदुषित होती है तथा गन्दगी फैलती है। महाकुम्भ जैसे आयोजन में केवल प्रशासन का यह कार्य नहीं है कि वह पवित्र जल की शुद्धता व सफाई का ध्यान रखे बल्कि आमजन का भी यह कर्त्तव्य है कि वे भी साफ सफाई का ध्यान रखे, केवल दोष प्रशासन पर लगाना भी सही नहीं है।

सन्दर्भ सूचि :–

01. जल अधिनियम (प्रदुषण की रोकथाम और नियंत्रण) 1974

02. जल उपकर अधिनियम (प्रदुषण निवारण एवं नियत्रण) 1977

03. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986

04. मौलिक कर्त्तव्य भारतीय संविधान 1950

05. https://www.thehindu.com

06. https://www.bbc.com

07. https://www.Newindiane express.com

य भारती(केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिर्पोट)

08. https://www.downtoearth.org.in

09. abplive.com